

प्रेषक,

श्री प्रकाश सिंह,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

45-दि-12/4/12

सेवा में,

नगर निगम, कारपुर

1. निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ।
3.  समस्त नगर आयुक्त नगर निगम उत्तर प्रदेश।
4. महा प्रबन्धक, समस्त जल संस्थान नगर निगम उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2012

विषय- दृष्टिहीनों/विकलांगों को भवन कर, जलकर से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2955/9-9-2004-182ज/04 दिनांक 05.11.04, एवं तत्सम्बन्धी अनुवर्ती शासनादेश संख्या-2955/9-9-2005-182ज/04 दिनांक 17.10.05, शासनादेश संख्या-4644/9-9-2006-182ज/04 दिनांक 08.02.06 एवं शासनादेश संख्या-3784/9-9-2008-182ज/04 दिनांक 29.12.2008 द्वारा दृष्टिहीनों/विकलांगों को भवन कर, जलकर से छूट प्रदान करने सम्बन्धी व्यवस्थाओं को संशोधित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नगर निकायों में दृष्टिहीनों एवं विकलांगों को गृहकर एवं जलकर से छूट दिये जाने सम्बन्धी निम्नलिखित व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी:-

“भवनकर/जलकर में 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक दृष्टिहीन अथवा विकलांग जन को शत प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम दृष्टिहीन अथवा विकलांग जन को 50 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।”

भवदीय,

04/4/2012

(श्री प्रकाश सिंह)

विशेष सचिव

संख्या- (1)/नौ-9-2011 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ।
2. संयुक्त सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, विकलांग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, सूचना विभाग उओप्रओ, लखनऊ ।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी न. पा. परि./न. पंचायत उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)
7. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(श्री प्रकाश सिंह)

विशेष सचिव

Sign-2

30-3-2012

[Signature]

नगर आयुक्त  
नगर निगम, कारपुर

श्री पार्वज

1 क. वेबसाइट पर  
अल इतिम प्रस्ताव को13/4/2012  
RMCनगर विकास अनुभाग  
नगर निगम, कारपुर